मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 30/01/2018

एफ/19–01/2018/17/मेडि–1 :: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धार के आदेश कमांक/स्थापना/2017/7705–06 दिनांक 28.09.2017 द्वारा स्व.श्री लाखनसिंह यादव, सेवानिवृत्त ड्रेसर, जिला चिकित्सालय, धार के सेवा स्वत्वों के भुगतान में घोर लापरवाही बरती जाने के कारण कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, धार में पदस्थ लेखापाल श्री श्रीकृष्ण मुकाती को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन काल में श्री मुकाती का मुख्यालय जिला कार्यालय धार निर्धारित किया गया है ।

2/– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धार के उपर्युक्त निलंबन आदेश दिनांक 28.09.2017 के विरुद्ध श्री श्रीकृष्ण मुकाती, निलंबित लेखापाल, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, धार द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 सातवॉ भाग–अपील नियम–23 के अन्तर्गत एक अपीलीय अभ्यावेदन दिनांक 11.10.2017 कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, धार के पत्र कमांक/स्थापना/2017/4288 दिनांक 11.10.2017 के माध्यम से विभाग में प्रस्तुत किया गया । सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, धार के पत्र दिनांक 11.10.2017 में यह उल्लेख किया है कि जिन आरोपों के संबंध में श्री श्रीकृष्ण मुकाती, लेखापाल को निलंबित किया गया है वह कार्य उन्हें आवंटित ही नहीं था । ऐसी स्थिति में उनका निलंबन आदेश त्रुटिपूर्ण है और इस आधार पर उनके अपीलीय अभ्यावेदन का निराकरण कर उन्हें बहाल किया जाए ।

3/– उक्त प्रकरण के तथ्यात्मक परीक्षण उपरांत यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि श्री श्रीकृष्ण मुकाती, लेखापाल को स्व.श्री लाखनसिंह यादव, सेवानिवृत्त ड्रेसर के सेवा स्वत्वों का भुगतान न करने के कदाचरण में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धार द्वारा निलंबित किया गया है । चूंकि श्री मुकाती सिविल सर्जन, धार के अधीन पदस्थ है अतः इनके कार्यो का सही ऑकलन सिविल सर्जन, धार के द्वारा ही किया जा सकता है । सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, धार ने पत्र दिनांक 11.10.2017 में यह उल्लेख किया है कि श्री श्रीकृष्ण मुकाती के पास लेखा शाखा का प्रभार नहीं था और न ही कभी यह कार्य उन्हें आवंटित किया गया । जबकि लेखा शाखा का कार्य श्री देवीसिंह, लेखापाल द्वारा वर्ष 2010–11 से किया जा रहा है । अतः स्व.श्री लाखनसिंह यादव, सेवानिवृत्त ड्रेसर के देय स्वत्वों का निराकरण नहीं किये जाने के संबंध में श्री श्रीकृष्ण मुकाती दोषी नहीं हैं, अपितु लेखाशाखा के प्रभारी के रुप में श्री देवीसिंह उत्तरदायी हैं ।

4/– इस प्रकार चूंकि प्रारंभिक जांच में सामने आये तथ्यों के आधार पर श्री श्रीकृष्ण मुकाती को प्रथमदृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित किया गया है । किन्तु प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन से प्रथमतः यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि लेखा शाखा का कार्य श्री मुकाती को आवंटित नहीं होने के कारण सीधे उनका उत्तरदायित्व नहीं माना जाना चाहिए । फलस्वरुप फिलहाल इन तथ्यों के आधार पर श्री मुकाती के अपीलीय अभ्यावेदन पर विचार कर निराकरण किया जाना है । यद्यपि जिन आरोपों पर श्री श्रीकृष्ण मुकाती को निलंबित किया गया है, उनकी विस्तृत जांच होने के पश्चात् ही वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

.....2.

5/— अतः उपरोक्त उल्लेखित तथ्यात्मक वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद्द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त प्रकरण के गुण—दोष के आधार पर श्री श्रीकृष्ण मुकाती, निलंबित लेखापाल, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, धार का अपीलीय अभ्यावेदन दिनांक 11.10.2017 को मान्य करते हुए, इन्हें निलंबन से बहाल किया जाता है। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धार को जांच कार्यवाही तीन माह में पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ/19—01/2018/17/मेडि—1 भोपाल, दिनांक 30 /01/2018

प्रतिलिपि :—

1— आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म0प्र0 भोपाल।
2— क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग, सागर।
3— कलेक्टर, जिला धार।
4— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धार।
5— सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, धार को उनके पत्र दिनांक 11.10.2017 के संदर्भ में।
6— उप. संचालक, (विज्ञप्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल की ओर आदेश बेबसाइड पर प्रदर्शित हेतु।
7— श्री श्रीकृष्ण मुकाती, निलंबित लेखापाल, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, धार।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग